


अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नीमकाथाना (राज.)

दिनेश कुमार वगै० बनाम अंजू वगै०

किस्म मुकदमा दावा बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा मु०नं० 128 सन् 2025 जीसीएमएस नं. 2025/271

| तारीख हुवम | हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|------------|--|---|
| 25-04-2025 | <p>रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। वादिगण की ओर से श्री राम गोपाल शर्मा एड. उपस्थित। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 05.06.2025 को पेश हो।</p> <p>05/06/25</p> <p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। प्रतिवादीगण की तामील सम्यक रूप से होना पायी गयी। बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित। अतः प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं। प्रकरण में प्राथमिक डिक्री पर वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी करने का निवेदन किया।</p> <p>पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया एवं वकील वादीगण के निवेदन पर सगौर मनन किया गया। चूंकि प्रकरण तकास्मा का हैं। वादग्रस्त आराजी के वादी एवं प्रतिवादीगण संयुक्त खातेदार हैं। प्रतिवादीगण बावजूद सम्यक तामील हाजिर अदालत नहीं आये जिससे प्रतिवादीगण की वादीगण के वादपत्र पर मौन स्वीकृति जाहिर होती हैं। तथा प्रतिवादी सं० 14 प्रकरण में Formal पक्षकार हैं। अतः वकील वादीगण का निवेदन स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर प्रकरण में प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की जाती हैं कि:-</p> <p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>तहसीलदार नीमकाथाना तन ग्राम राजनगर पटवार हल्का गोडावास तहसील नीमकाथाना अवस्थित वादग्रस्त आराजी ख० नं० 273 रकबा 0.42 है० में विवादीत पक्षकारान को सूचित कर उनकी उपस्थिति में स्वयं मौका-निरिक्षण कर निम्न शर्तों को ध्यान में रखते हुये विस्तृत विभाजन प्रस्ताव तैयार करें:-</p> <p>1. यदि पक्षकारान ने आपस में बाहमी बंटवारा कर अपने-अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं</p> | <p style="text-align: right;">  राजवीर सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर) </p> |



तारीख हुकम

तो मौका एवं रिकार्ड के अनुसार प्रस्ताव तैयार कर भिजवावें।

2. पक्षकारान की आपसी सहमति से बंटवारा के प्रस्ताव तैयार कर भिजवावें।
3. यदि उपरोक्त बिन्दु सं. 1 व 2 के अनुसार पक्षकारान के बीच बंटवारा किया जाना सम्भव नहीं है तो "बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स" के सिद्धान्त पर पृथक्-पृथक् लगान कायम करते हुए मीन बट्टा नम्बर डालकर नक्शा ट्रेस में लाल सूख स्याही से तरमीम कर विस्तृत विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम के नियम- 18 से 21 के अनुसार राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक राम/न्याय/स्था/प-51/2008/विविध/10546 दिनांक 05.10.2020 में प्रदत्त दिशा-निर्देशानुसार तैयार करवाकर प्रकरण में नियत आगामी तारीख पेशी दिनांक 24.07.2025 से पूर्व भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

तहसीलदार नीमकाथाना को उपरोक्तानुसार विस्तृत विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहरीर जारी हो तथा तदनुसार प्राथमिक डिफ्री पर्चा जारी हो। वास्ते प्राप्त होने विस्तृत विभाजन प्रस्ताव मिसल दिनांक 24.07.2025 को पेश हो।



(Signature)
 (राजवीर सिंह यादव)
 राजवीर सिंह यादव
 उपखण्ड अधिकारी,
 नीमकाथाना (राज.)

29/7 प्रस्तावली पेश हुई। अभिभावक सघ
 को अदालती कार्य का स्थान क
 रखा है। प्रस्तावली पूर्व प्रकरण
 दिनांक 28/7/25 को पेश है।

28/7 प्रस्तावली पेश हुई। अभिभावक सघ
 को अदालती कार्य का स्थान क
 रखा है। प्रस्तावली पूर्व प्रकरण
 दिनांक 5/8/25 को पेश है।

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना
उनवानी दिनेश कुमार बनाम अंजू आदि मु.सं. 138/2025


नम्बर व तारीख अहकाम जो
इस हुकम की तामील में
जारी हुए

दि
ख
म

05-08-2025

पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उप0।
तहसीलदार नीमकाथाना से प्रकरण में प्राथमिक
डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव पूर्व में प्राप्त
हुआ जो अभिलेख पर लिया जाता है। विभाजन
प्रस्ताव पर बहस वकील वादीगण सुनी गयी। दौराने
बहस वकील वादीगण ने तहसीलदार नीमकाथाना से
प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहमति देते हुए मुताबिक
विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री फरमाने का निवेदन
किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड
एवं तहसीलदार नीमकाथाना से प्राथमिक डिक्री की
पालना में प्राप्त विस्तृत विभाजन प्रस्ताव का
अवलोकन किया गया एवं बहस वकील वादीगण पर
सगौर मनन किया गया। चूंकि वकील वादीगण
तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव
से सहमत हैं। अतः वाद वादीगण न्यायहित में
स्वीकार किया जाकर मुताबिक विस्तृत विभाजन
प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत
विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा।
मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में
अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी
हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो
तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय
आज दिनांक 05.08.2025 को मेरे हस्ताक्षर व
न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(राजेंद्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना (राज.)
नीमकाथाना



डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना (सीकर)
बड़जलास राजवीर सिंह यादव R.A.S.

1. दिनेश कुमार पुत्र गुरुदयाल वगैरह

—वादीगण

बनाम

1. अंजू पुत्री रामावतार वगैरह


—प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा
मुकदमा नं. 138 सन् 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस व हाजिरी श्री रामगोपाल शर्मा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रुबरू मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वाद वादीगण मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता हैं। विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

.निज.....मुबलिग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकका अदा करें।

बसव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 05 माह 08 सन् 2025 को जारी की गई।



दस्तखत.....
(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

| मुद्दई | रुपये | पैसे | मुद्दायलह | रुपये | पैसे |
|---|-------|------|---|-------|------|
| स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफरिक मीजान | | | स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफरिक मीजान | | |

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।